न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-82/2016

1- गैन्द कंवर बेवा सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जेरठी तहसील धोद जिला सीकर ।
2- राजेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंह

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- विजयसिंह पुत्र अगरसिंह
2- मूलसिंह पुत्र अगरसिंह
3- इन्द्रसिंह पुत्र अगरसिंह(फौत)
3/1-सन्तराकंवर पत्नी इन्द्रसिंह
3/2-सुरेन्द्र पुत्र इन्द्रसिंह
3/3-मुकेश पुत्र इन्द्रसिंह
3/4-भंवरीकंवर पुत्री इन्द्रसिंह
4- नरपतसिंह पुत्र अगरसिंह
5- हरिसिंह पुत्र डोडसिंह(फौत)
5/1-मालसिंह पुत्र हरिसिंह
5/2-केशरसिंह पुत्र हरिसिंह
5/3-रामसिंह पुत्र हरिसिंह
5/4-सरजीतसिंह पुत्र हरिसिंह
5/5-सिरेकंवर बेवा हरिसिंह

जाति राजपूत निवासी ग्राम जेरठी तहसील धोद जिला सीकर ।

6- तहसीलदार सीकर हाल तहसीलदार धोद जिला सीकर ।
7- महेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जेरठी तहसील धोद जिला सीकर(फौत)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7/1- संजूकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह
7/2- हर्षवर्धन पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह
7/3- अमितसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
जाति राजपूत निवासी ग्राम जेरठी तहसील धोद जिला सीकर ।

8-उच्छवकंवर पुत्री सवाईसिंह
9- मदनकंवर पुत्री सवाईसिंह
जाति राजपूत निवासी ग्राम जेरठी तहसील धोद जिला सीकर ।

10- रिछपाल सिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी जेरठी (सुभाषनगर) तहसील धोद जिला सीकर।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 12-3-2016 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी, सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री विजयसिंह तंवर एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री नोपाराम जांगिड एडवोकेट-रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 4.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जेरठी तहसील सीकर की तन में आराजी ख0नं0 670 रकबा 1.02 हैक्टर, ख0नं0 671 रकबा 0.92 हैक्टर, कुल किता-2 रकबा 1.94 हैक्टरमें वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 का बराबर बराबर हक हिस्सा है एवं ग्राम दौलतपुरा तहसील सीकर में आराजी ख0नं0 5 रकबा 1.80 हैक्टर अवस्थित है जिसमें वादीकी 4 बीघा 1 बिस्वा एवं शेष 3 बीघा 2 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 का बराबर बराबर 1/5, 1/5 हिस्सा है। ख0नं0 670 व 671 के गत ख0नं0 324/2 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा बने तथा ख0नं0 5 रकबा 1.80 हैक्टर के पुराने ख0नं0 3/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, पुराना ख0नं0 3/2 रकबा 3

बीघा 2 बिस्वा थे ।ख0नं0 3/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा का आगे 4 बीघा 1 बिस्वा दर्ज हो गया जिसकी खातेदारी भानसिंह पुत्र थानसिंह के नाम थी । जिसने इस आराजी को वादी को विक्रय कर कब्जा समझा दिया ।जिसका वादी अकेला खातेदार काश्तकार है ।वर्तमान सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान गत ख0नं0 3/1 व 3/2 को गलत रूप से शामिल कर हाल ख0नं0 -5 रकबा 1.80 हैक्टर बना दिया । तथा खातेदारी एक ही खाता में अलग अलग 4 बीघा 1 बिस्वा की भानसिंह व 3 बीघा 2 बिस्वा की अगरसिंह के नाम खातेदारी दर्जकर दी गई । तथा नक्शा भी दोनो खसरों को मिला कर बना दिया तथा दोनों खसरा नम्बरों के बीच की सींव को भी दर्शित नही किया गया ।इस प्रकार गत ख0नं0 3/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर-5 रकबा 1.80 हैक्टर है जिसमें 4 बीघा 2 बिस्वा का वादी अकेला खातेदार काबिज काश्तकार है तथा पुराना ख0नं0 3/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा जिसके नये ख0नं0 5 रकबा 1.80 हैक्टर बना दिया जिसमें 3 बीघा 2 बिस्वा का वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 काबिज काश्तकार है ।ख0नं0 670 व 671 जिसके पुराने ख0नं0 324/2 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा अगरसिंह की स्वअर्जित भूमि है ।किन्तु राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा अगरसिंह व 1/2 हिस्सा श्योनारायणसिंह के नाम दर्ज कर दिया । जबकि उक्त भूमियों को श्योनारा--यणसिंह ने कभी काश्त नहीं की । तथा वह कुंवारा ही फौत हो गया । अगरसिंह के फौत होने पर यह आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 को प्राप्त हो गई। ख0नं0 3/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भानसिंह द्वारा वादी को विक्रय करने के बाद नामान्तरकरण वादी के नाम भरा गया तथा राजस्व रेकार्ड वादी के नाम दर्ज हो गया ।ख0नं0 3/2 की खातेदारी अगर सिंह के फौत होने पर वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 के नाम दर्ज हो गया। ख0नं0 3/1 की खातेदारी अगरसिंह के नाम कभी नहीं रही है ।सैटलमेन्ट ने इस खसरा नं0-3/1 को गल रूप से राजस्व रेकार्ड में ख0नं0 3/2 के साथ दर्ज कर दिया । तथा इन दोनो पुराने ख0नम्बरों का नया ख0नं0 5 रकबा 1.80 हैक्टर बना दिया। जबकि गत ख0नं0 3/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा तो

वादी ने पूर्ण प्रतिफल देकर खातेदार भानसिंह से क्रय किया है । उपरोक्त आराजी का खाता अभी तक वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 3 के पिता एवं प्रतिवादी सं0-4 के पति अगरसिंह के नाम से ही चला आ रहा है ।तथा नामान्तरकरण भरा नहीं गया ।उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसके कारण प्रतिवादी स0-1 व 2 तथा 5 से 6 वादी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दे रहे है। अतः आराजी ख0नं0 670, 671 ग्राम जेरठी एवं ख0नं0 5 रकबा 1.80 हैक्टर ग्राम दौलतपुरा (ख0नं0 5 रकबा 1.80 हैक्टर) में से 3 बीघा 2 बिस्वा के 1/5 हिस्से का वादी को खातेदार काश्त-कार घोषित किया जावे । तथा बाई मीटस् एण्ड बाउण्डस् बंटवारा किया जावे तथा ख0नं0 5 रकबा 1.80 हैक्टर में से 4 बीघा । बिस्वा एवं उक्त 1/5 हिस्सा से बेदखल नहीं किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई दावा एवं काउण्टर दावा का निर्णय करते हुये राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया गया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अदालत मातहत में प्रतिवादी सं0-6 सवाईसिंह के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र दिनांक 15-10-2014 को स्वीकार किया गया । तथा पत्रावली संशोधित शपथपत्र एवं कायम मुकाम की तलबी हेतु चल रही थी । किन्तु प्रकरण में ना तो संशोधित शपथपत्र पेश किया और ना ही कायम मुकाम की तलबी की गई ।इस प्रकार अदालत मातहत ने बिना संशोधित शपथपत्र लिये बिना का0 मु0 की तामिल करवाये आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है ।अदालत मातहत ने पद का दुरूपयोग करते हुये अपना निर्णय पारित किया है ।अदालत मातहत में सवाई सिंह के फौत होने पर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कायम मुकाम प्रार्थना पत्र तो स्वीकार कर लिया किन्तु कायम मुकाम/ अपीलान्ट की कोई तामिल नहीं करवाई गई । आदेशिका दिनांक 28-3-16 की तारीख पेशी पूर्वाज्ञानुसार पेश होने के लिये दी गई है । जिसमें पूर्व की पेशी में तामिल पेश करने के आदेश है । इस प्रकार दिनांक 28-3-2016 को तो दावा नोन कम्पलायंस में खारिज किया जाना चाहिये था । किन्तु अदालत मातहत ने कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लघन्न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अपीलान्ट को बिना सूचना दिये ही बाला बाला तारीख पेशी के बीच मे दिनाक 27-1-2016 को राजीनामा पेश किया उसके बाद भी पत्रावली पुनः बीच में ही तारीख पेशी पर लेकर एक और राजीनामा पेश किया गया जो दिनांक 25-2-16 को राजीनामा पेश किया गया ।तथा नियत तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 12-3-2016 को बिना अपीलान्ट की तामिल करवाये ही आदेश पारित किया गया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे । अदालत मातहत में अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई न कोई सुनवाई का अवसर दिया गया ।इस कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हुई । दिनांक 2-6-16 को हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई । जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद है । अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

बहस उभयपक्ष अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत की आदेशिका का अवलोकन किया गया दिनांक 30-6-11 को प्रतिवादी सं0-6 सवाईसिंह के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेशकिया गया ।प्रतिवादी सं0-5 हरिसिंह का भी कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 19-9-2011 को प्रतिवादी सं0-2,5 व 6 के वारिसान को

रेकार्ड पर लिया गया । वास्ते पेश करने संशोधित शीर्षक एवं पेश करने सम्मन कायम मुकाम दिनांक 11-10-11 को पेश हो । पत्रावली संशोधित शीर्षक पेश करने व तलबी कायम मुकाम में चलती रही । दिनांक 23-7-15 को वकील वादी 7 दिवस में तलबी कायम मुकाम पेश करें । पत्रावली दि0 25-8-15 की पेशी नियत कर दी । दिनांक 11-1-16 को पत्रावली में पूर्वाज्ञानुसार दिनांक 28-3-16 की पेशी दी गई । कायम मुकाम की तलबी नहीं हुई । पत्रावली का तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 27-1-16 का तलब कर एक राजीनामा पेश किया तथा पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-3-16 की पेशी में रखी गई ।इसके बाद पुनः पत्रावली तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 25-2-16 को तारीख पेशी पर ली जाकर एक राजीनामा ओर पेश किया। तथा पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-3-16 को पेश हो दर्ज कर दिया । इस बार भी पत्रावली को तारीख पेशी से पूर्व पेशी में लेकर दिनांक 12-3-16 को अर्थात नियत पेशी दिनांक 28-3-2016 से पूर्व ही पेशी पर लेकर मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0-5 का काउण्टर दावा व दावा डिक्री किया तथा प्रतिवादी संख्या-6 का काउण्टर दावा खारिज कर दिया । इस प्रकार अदालत मातहत की आदेशिका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है किप्रतिवादी सवाईसिंह के वारिसान अपीलान्टस् की तामिल अदालत मातहत में नहीं करवाई गई ।तथा नियत तारीख पेशी से दिनांक 28-3-2016 से पूर्व ही पत्रावली को तलब कर दिनांक 12-3-16 को निर्णित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अपीलान्ट की तामिल नहीं हुई तथा ना ही किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया को अपनाया गया है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय नियत तारीख पेशी से पूर्व पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । जिसे हम यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते । तथा अपीलान्ट को अदालत मातहत में सूचना नहीं दिये जाने के कारण अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है ।

अध्यक्ष अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-3-2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 11-7-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 4.6.2018 को सुनाया गया ।

4/6/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर